[Shri Hardeep Singh Puri]

privatised airports. This is the revenue that they are getting from Delhi and Mumbai airports. The other, about ₹900 crores or so, comes from the other privatised airports which also — 16 of them, the other airports, some private, some non-privatised — make some profit. In other words, the expenditure of ₹ 5,000 crores is earned or rather can be incurred because of privatisation. Today, Mumbai and Delhi Airports, between them, these two airports account for 34 per cent of the traffic. In all the other six airports, which we have recently listed, three have already been awarded. In the other three, we have PILs in two, and, in one, we have a hanger belonging to State Government Those put together will not account for more than 7-9 per cent of total traffic. So, in other words, the entire civil aviation infrastructure of airports is financed through privatisation which was done in an earlier era and which was done very successfully.

MR. CHAIRMAN: Right. Question No. 99. Shri Dhiraj Prasad Sahu. Questioner नहीं है। Shri Rakesh Sinha.

*99. [*The Questioner was absent*.]

Registration of migrated labourers

*99. SHRI DHIRAJ PRASAD SAHU: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government has taken any initiative to develop a mechanism for the registration of migrated labourers at source and destination location to prepare a data bank and if so, the details thereof; and

(b) whether Government is considering to take any steps to ensure the transfer of documents such as ration card and BPL cards from one State to another so that the migrated labourers could avail the benefits of these services at their destination places and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (b) A Statement is laid on the table of the Home.

Statement

(a) In order to safeguard the interest of the Migrant workers, the Central Government has enacted the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979 which, *inter alia*, provides for registration of

certain establishments employing Inter-State Migrant Workers, licensing of contractors etc. Workers employed with such establishment are to be provided payment of minimum wages, journey allowance, displacement allowance, residential accommodation, medical facilities and protective clothing etc. As migration of workers from one State to another State is a continuous process and the migrant workers keep on moving from one State to other States in search of work, therefore, it is not feasible to keep record of such migration. However, according to the Economic Survey 2016-17 the size of the workforce as per Census 2011 was 482 million people and based on extrapolation, this figure would have exceeded 500 million in 2016. If the share of migrants in the workforce is estimated to be even 20%, the size of the migrant workforce can be estimated to be over 100 million in 2016 in absolute terms.

(b) There is no proposal under consideration to transfer documents such as ration cards and BPL cards from one State to another.

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, आज देश में 139 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 11 मिलियन वर्कर्स इंटर-स्टेट माइग्रेंट करते हैं। हमारा कानून माइग्रेंट वर्कर्स ऐक्ट, 1979 का है। हम देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जहां भी जाते हैं, वहां पर न्यूनतम सुविधाओं के साथ रहते हैं, उन्हें बेसिक ह्यूमैन फेसेलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस ऐक्ट में बदलाव करेगी? दूसरा प्रश्न यह है कि उनको न्यूनतम सुविधाएं मिलें, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने यह सही बात कही है कि इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में अब समस्या आ रही है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि करीब-करीब 20 परसेंट श्रमिक ऐसे हैं, जो इस प्रकार की माइग्रेंट की श्रेणी में आते हैं और जिनकी संख्या 10 करोड़ के आस-पास है। भारत सरकार इस बात को समझ रही है और इसीलिए हम लोग श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद हम 44 श्रम कानूनों को चार कोड्स में बदलने का काम कर रहे हैं, तो ओ.एस.एच. कोड जो इस समय चर्चा में चल रहा है, उसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स की बात भी है, इस पर भी सारी चर्चा हुई है और मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में अगर कोई सुझाव वे देंगे, तो उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, माइग्रेंट वर्कर्स मजदूरी के लिए उन क्षेत्रों से ज्यादा जाते हैं, जिन क्षेत्रों में खेती, किसानी की कमी होती है, जिसके कारण उन्हें रोज़गार के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे

[श्री दिग्विजय सिंह]

देश में माइग्रेंट लेबर कौन-कौन से प्रदेश में है और उन प्रदेशों में वे कौन-कौन से विकास खंड से माइग्रेट करते हैं? यदि आप उसका सर्वे करवाएंगे, तो आप उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे। क्या माननीय मंत्री जी पूरे देश के हर प्रदेश और हर विकास खंड से कितनी माइग्रेंट लेबर जाती है, इसका सर्वे करवायेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बात दुरुस्त है। जैसा कि मैंने कहा है कि करीब 20 परसेंट माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या नज़र आ रही है और यह संख्या कम नहीं है, यह 10 करोड़ के आस-पास है। आपका सुझाव सही है और हम इसकी जानकारी लेंगे। हम सभी राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वहां से जहां-जहां भी कर्मचारी जाते हैं, अगर उसकी जानकारी हमें देंगे, तो हम इस डेटा को दुरुस्त करके आगे उचित कदम उठायेंगे।

डा. अशोक बाजपेयी: महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस तरह के घुमंतू मजदूरों की संख्या, वर्ष 2016 के सर्वेक्षण के आधार पर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे मजदूरों को न्यूनतम जीवनयापन के लिए, बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं, क्या ऐसी सुविधाएं इन घुमंतू मजदूरों को दिलाने की कोई कार्य-योजना सरकार के पास है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, भारत सरकार के पास ऐसी योजना नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे documents, चाहे राशन कार्ड हो या बी.पी.एल. कार्ड हो और अन्य सारी चीजें, ये राज्यों पर आधारित होती हैं। हम राज्य सरकारों को सुझाव देंगे कि वे इनका रिकॉर्ड रखें और उसके हिसाब से बैठकर कार्रवाई करें।

Exploitation of home garment workers

*100. SHRI SANJAY SINGH: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of exploitation of home garment workers by sub-contractors and fashion brands; and

(b) the steps taken by the Ministry to remedy and prevent such exploitation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the Home.

Statement

(a) and (b) The State Governments are the appropriate Government for the purpose of enforcement of the labour laws applicable to home garment workers, sub-